ऋण दिये है और उन्हे किस-किस तारीख को तथा कितनी-कितनी राशि दी है;

(ख) उपर्युक्त बैंक ने अब तक कुल कितनी राशि के ऋण दिये है और उसकी ऋण देने की क्षमता कितनी है,

(ग) क्या नये उद्यमकर्ता उपर्युक्त बैंक द्वारा दी गयी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे है, और

(घ) यदि हा, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) मांगी गयी सूचना जितनी उपलब्ध है, विवरण में दी गयी है, जो सभा पटल पर रखा गया है। [ग्रथालय में रखा गया। देखिये संख्या LT 392/71]

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी स्थापना के समय से अर्थात् जुलाई 1964 से 31 मार्च, 1971 के अन्त तक क्रमश 147 80 करोड रुपये तथा 101 40 करोड रुपये के ऋण (जिनमें निर्यात के लिये ऋण भी शामिल हैं) स्वीकृत तथा वितरित किये।

अपनी चुकता पूजी तथा प्रारक्षित निधियों के अलावा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को, केन्द्रीय सरकार से तथा रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधिक सचालन) निधि से ऋण लेकर, बाण्ड जारी करके, 12 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिये जनता द्वारा जमा करायी गयी रकमों से, तथा सरकार के पूर्वानुमोदन से विदेशी वित्तीय सस्थाओं से विदेशी मुद्रा में ऋण लेकर, रुपया इकट्ठा करने का अधिकार है। इस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास, उससे की जाने वाली मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त साधन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की उपलब्धियों में असमानता

1992. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में भारी असमानता है;

(ख) यदि हा, तो इस असमानता को दूर करने के लिये क्या सरकार का कोई उपाय करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के वेतनमान, विभिन्न पदो के कार्यों तथा जिम्मेदारियों, भरती के लिये निर्धारित योग्यताओं आदि का ध्यान में रखकर द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशो के आधार पर बनाये गये है। अल्प वेतन पानेवाले कर्मचारियो को विभिन्न भत्ते तथा वेतनेतर लाभ देकर उच्चतम ग्रेड के कर्मचारियो की पर लगने के बाद की परिलब्धियों और न्यूनतम वेतन पानेवाले कर्मचारियों के अधिकतम पारश्रमिक के बीच अंतर को भी क्रमिक रूप से कम किया जा रहा है। फलस्वरूप, न्यूनतम और उच्चतम (कर घटाने के बाद) परिलब्धियों के बीच असमानता का अनुपात 1947 में 1:38 से घटकर वर्तमान में लगभग 1:14 हो गया है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों की वर्तमान रचना की समीक्षा का सारा प्रश्न पहले से ही तृतीय वेतन आयोग के सामने है और सरकार को उनकी सुसमीक्षित सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान

1993. **श्री फूल चन्द डाया**: क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: